न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्र.सं. : 49 / 2025

जी.सी.एम.एस. : 2025 / 73

प्रार्थीगण — बनाम — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. गोकलराम पुत्र दौलाराम
2. अरूणा पत्नी कालूराम
3. गुड्डीदेवी पुत्री सूजाराम
4. गणेशराम पुत्र खरताराम
5. गीता पुत्री पदाराम
6. गीता पुत्री सूजाराम
7. चून्नीलाल पुत्र गिरधारी
8. चिंतामणि पुत्री कालूराम
9. चौथी देवी पुत्री कनाराम
10. छोटाबाई पुत्री जोधाराम
11. जबराराम पुत्र सूजाराम
12. ईश्वरराम पुत्र पदाराम
13. जिमनाई पुत्री जोधाराम
14. झमकू पत्नी सूजाराम
15. देवेन्द्र गोदारा पुत्र कालूराम
16. धोकलराम पुत्र दौलाराम
17. नीतू पुत्री गोपाराम
18. पुकाराम दत्तक पुत्र कनाराम
19. पुखराज पुत्र पदाराम
20. पपलीदेवी पुत्री कनाराम
21. बीजाराम पुत्र जोधाराम
22. उम्मेदराम पुत्र नरसिंह
23. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम
24. कमलादेवी पुत्री दौलाराम
25. केलीदेवी पुत्री कनाराम
26. कानाराम पुत्र खरताराम
27. कालीदेवी पुत्री कनाराम
28. गंगाराम पुत्र जोधाराम
29. भंवराराम पुत्र दौलाराम
30. भानाराम पुत्र खरताराम
31. मथुरा पुत्री जोधाराम
32. मूलाराम पुत्र राजूराम
33. मालीदेवी पुत्री कनाराम

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी रोहट जिला पाली (राज.)
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 188 उम्मेद हैरिटेज रातानाडा जोधपुर (राज.)
3. तहसीलदार, रोहट
4. भारत सरकार जरिये उप सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

34. मोहनराम पुत्र सूजाराम
35. लूनी पुत्री पदाराम
36. लालाराम पुत्र दौलाराम
37. लालाराम पुत्र पदाराम
38. लीला जाट पुत्री सूजाराम
39. विमल पुत्री सूजाराम
40. विशनाराम चौधरी पुत्र गोपाराम
41. हेमाराम पुत्र गिरधारी
42. हिमांशु पुत्र कालूराम

समस्त जातियान भाट, निवासीगण ग्राम लालकी तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

अन्तर्गत धारा 3 G (V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशराम मोटड़ा
अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :–

दिनांक :– 04.08.2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) पदेन उपखण्ड अधिकारी, रोहट के अवॉर्ड दिनांक 21.11.2024 की पुनर्गणना कराने बाबत् पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रमेशराम मोटड़ा व अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम रोहट में स्थित भूमि खसरा संख्या 484 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से संलग्न है, पूर्व में रोहट बाईपास की भूमि अवाप्ति का गजट नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 31.08.2017 में जारी किया गया जिसके अनुसार अवॉर्ड का निर्धारण करते समय खसरा संख्या 484 की भूमि को क्रम संख्या 57 पर 0 मीटर से 100 मीटर की दूरी पर माना अर्थात् उक्त खसरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से संलग्न है लेकिन तत्पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा मनमर्जी से रिपोर्ट तलब कर प्रार्थीगण की भूमि को 201 से 500 मीटर की दूरी मानते हुए अवॉर्ड राशि का निर्धारण किया गया जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। राजस्थान सरकार के पंजीकरण एवं स्टाम्प कार्यालय द्वारा जारी रूरल डीएलसी अनुसार खसरा संख्या 484 रोहट बाईपास पर 0 से 100 मीटर की परिधि में आता है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा मनमर्जी से प्रार्थी की भूमि को 200 से 500 मीटर की परिधि में अंकित किया। पूर्व में रोहट बाईपास के लिए खसरा संख्या 484 में से भूमि अवाप्त कर खसरा संख्या 482/1 अंकित किये गये थे एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा संख्या 482/1 बाईपास के दोनों तरफ मूल खसरा संख्या 484 की भूमि है जिसे राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 484 एवं खसरा संख्या 484/2 वर्णित किया गया है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से पूर्णतया संलग्न है एवं इसका राजस्व रेकर्ड में बदलाव भी नहीं हुआ है। पटवारी हल्का रोहट

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

प्रथम द्वारा उप पंजीयक महोदय रोहट को जारी पत्र दिनांक 20.11.2024 जो उप पंजीयक रोहट के पत्र दिनांक 19.11.2024 के अनुसरण में जारी किया गया जिसमें भी उन्होने स्पष्टतया वर्णित है कि खसरा संख्या 484 एवं 484/2 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी अप्रार्थी द्वारा मनमर्जी से अप्रार्थी की भूमि को 201 से 500 मीटर की परिधि में मानते हुए अवॉर्ड का निर्धारण किया है जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है। अतः प्रार्थी का जैर मध्यस्थम प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से 01 मीटर से 100 मीटर की परिधी में मानते हुए अवॉर्ड का पुनः निर्धारण किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस का खण्डन का करते हुए निवेदन किया कि जैर अवॉर्ड राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट के अनुसार व नियमानुसार ही तय किया गया है। अतः प्रार्थीगण का जैर मध्यस्थम प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज फरमावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि जैर प्रकरण में आवेदक का मुख्य उज्र यह है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी रोहट) द्वारा पूर्व में ग्राम रोहट के खसरा संख्या 484 में से बाईपास बनाने हेतु भूमि अवाप्त की गई। जिससे अवाप्तशुदा भूमि के खसरा संख्या 482/1 अंकित किये गये। उक्त अवाप्ति कार्रवाई के दौरान खसरा संख्या 484 की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से राजस्व कर्मचारियों द्वारा दूरी 0 मीटर से 100 मीटर के मध्य निर्धारित की गई एवं उसी के अनुसार अवॉर्ड जारी किया गया एवं मुआवजा तय किया गया। उक्त बाईपास निकालने से खसरा संख्या 484 दो भागों में विभक्त हो गया जिसके खसरा संख्या 484 एवं खसरा संख्या 484/2 वर्णित किया गया। अब उक्त बाईपास के चौड़ाईकरण के लिये खसरा संख्या 484/2 की भूमि भी अवाप्त की गई जिसका अवॉर्ड जारी करते समय उक्त खसरा संख्या को राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित होना बताते हुए मुआवजा जारी किया गया जो कि विधि विरूद्ध है। विपक्षी अधिवक्ता का मुख्य उज्र यह रहा कि जैर मुआवजे का निर्धारण राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार ही निर्धारित किया गया है।

उभयपक्षों की समायतशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने पर प्रकरण में यह प्रकट आता है कि प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 484/2 मूल रूप से खसरा संख्या 484 का ही हिस्सा है। खसरा संख्या 484 के कतिपय भाग का पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 के लिए अवाप्त किया गया एवं इस भूमि का मुआवजा सभी राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से 0 मीटर से 100 मीटर की दूरी के आधार पर ही दिया गया गया। इस भूमि का पूर्व में मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी पर ही मानकर दिया गया है तो अब उसके टुकड़े को सड़क से 200 मीटर से ज्यादा दूर माने जाने का कोई औचित्य नहीं है। यहां पर एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशाषी अधिकारी, सा. नि.वि.रा.रा.मा. खण्ड पाली ने अपने पत्रांक 2178 दिनांक 03.02.2025 द्वारा भी अवगत करवाया है कि "खसरा संख्या 484 से अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से 0 मीटर से 100 मीटर दूरी के आधार पर तय किया गया है एवं खसरा संख्या 484/2 से भी अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भी उक्त आराजी के मूल खसरा संख्या 484 के अनुसार ही तय किया जा सकता है।" साथ ही पटवार हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि आराजी संख्या 484/2 मूल खसरा संख्या 484 का ही भाग है एवं उक्त खसरा संख्या 484 का एक टुकड़ा पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी मानकर अवाप्त हुई है एवं इसी कारण ही आराजी संख्या 484/2 की दूरी राष्ट्रीय राजमार्ग से बढ़ी हो तो अब खसरा संख्या 484/2 को राष्ट्रीय राजमार्ग

जिला कलेक्टर, पाली

से 200 मीटर से ज्यादा दूरी माना जाना एवं उक्त दूरी मानकर उसी आधार पर जैर मुआवजा पारित किया जाना याची के हितों पर अत्यन्त कुठाराघात है। साथ ही एक ही मूल खसरे के दो हिस्सों के लिए भिन्न–भिन्न दूरी आधारित मुआवजा निर्धारण न केवल तर्कहीन है बल्कि विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लंघन भी है। अतएव भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट) द्वारा जारी अवॉर्ड दिनांक 21.11.2024 को खसरा संख्या 484/2 की हद तक अपास्त किया जाता है एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के खसरा संख्या 484/2 की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से दूरी 100 मीटर ही मानी जावे एवं उसी के अनूरूप मुआवजा पुनः निर्धारित कर समुचित एवं न्यायोचित भुगतान प्रार्थीगण को किया जावे। निर्णय की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली